

लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर लगाया

8 हजार जुर्माना

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम के जोन- 3 और छावनी पुलिस की टीम ने रविवार को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। निर्धारित समय के बाद भी मटन चिकन और मछली बेचने वाले चार दुकानदारों से कुल 8 हजार रूपए अर्थदंड वसूल किया गया। जोन-3 के सहायक राजस्व निरीक्षक टिकेन्द्र वर्मा ने बताया कि लाकडाउन के दिन रविवार को मांस-मछली बेचने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चार दुकानदार चिकन और मछली बेचते हुए पाए गए। सभी के खिलाफ 2-2 हजार की चालानी कार्रवाई की गई। वार्ड 22 श्याम नगर लिंक रोड निवासी नरेश यादव मछली बेच रहे थे। उनसे दो हजार अर्थदंड वसूल किया गया। इसी प्रकार वार्ड 24 मिलन चौक निवासी उत्तम कुमार से 2 हजार, वार्ड 23 शेख महमूद और मोहम्मद कुमरैद से 2-2 हजार जुर्माना वसूल किया गया। सभी को जिला प्रशासन के आदेशानुसार निर्धारित तिथि एवं समय में व्यावसाय करने की समझाइश दी गई। टीम में वार्ड प्रभारी मनहरण साहू और छावनी पुलिस के जवान शामिल थे।

जनसंपर्क अधिकारी

